P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बच्चों के प्रति व्यापक तथा सक्रिय दुर्व्यवहार : लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन

अमित्सौम्या
शोधछात्रा,
गृहविज्ञान विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

वन्दना सिंह
रीडर,
गृहविज्ञान विभाग,
महिला पी.जी. कॉलेज,
अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

बाल दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा बाल विकास में आने वाला वह प्रभावी अवरोध तथा समस्या है जिससे बालक का समग्र व्यक्तित्व पूर्ण एवं नकारात्मक रूप से प्रभावी होता है। बर्गेस (1973) ने अपनी पुस्तक में लिखा है–"बाल दुर्व्यवहार ऐसे किसी भी बच्चे की ओर संकेत करता है जिसे माता–पिता अभिभावकों एवं मालिकों के कार्यों और अनाचरण की त्रुटियों के कारण बगैर दुर्घटना के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक चोट लगती है.....।"

मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक हिंसा की धमकियाँ और अत्यधिक शारीरिक दण्ड आदि को भी बाल दुर्व्यवहार कहा जाता है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। परन्तु दुर्व्यवहार के फलस्वरूप उनमें कुण्ठा एवं ग्रन्थि का निर्माण हो जाता है। वर्तमान में यह अत्यन्त व्यापक, चुनौतीपुर्ण तथा गम्भीर समस्या है। इन्हीं सब तथ्यों को स्मृति में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में बाल दुर्व्यवहार का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु लखनऊ क्षेत्र के अर्जुनगंज विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज तथा अर्जुनगंज विद्या मन्दिर डिग्री कॉलेज के 100 बच्चों का चयन किया गया है। जिनका आयु वर्ग 14–19 वर्ष है।

अध्ययन से यह तथ्य स्पष्टतया उजागर होता है कि शारीरिक दुर्व्यवहार, सांवेगिक एवं यौन दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा के परिणामस्वरूप बच्चों का व्यक्तित्व पूर्णतया प्रभावित होता है। बच्चों में सभी व्यक्तियों के प्रति अविश्वास, हीनभावना, डर, अनिर्णय, घरवालों के प्रति उदासीन रवैया, कम आत्मस्म्मान तथा कभी–2 नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। इन सभी समस्याओं के साथ–2 उनका भावी सामाजिक जीवन तथा शैक्षिक क्रिया–कलाप भी नकारात्मक रूप से प्रभावी होते है।

मुख्य शब्द : नकारात्मक प्रभाव, शारीरिक सांवेगिक तथा यौन दुर्व्यवहार कुण्ठा, हीन भावना कम आत्मसम्मान।

प्रस्तावना

बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार आज दुनिया के अधिकांश देशों में सबसे पेचीदा विषय है। बच्चा समाज का प्राथमिक व्यक्ति होता है। अतः बच्चे के साथ होने वाला दुर्व्यवहार बच्चे की वृद्धि तथा विकास के लिए अवरोध होता है। बच्चे के साथ होने वाला दुर्व्यवहार उसको शारीरिक क्षति पहुँचाने के साथ–साथ उसके मानसिक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। दुर्व्यवहार जो कि अधिकांशतः उनके अपनों द्वारा ही किया जाता है, उनके शरीर के साथ–साथ उनके हृदय पर भी कुठाराघात करता है तथा ये चोट जीवन भर उनके साथ रहती है।

2007 में महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय[6] द्वारा जारी रिपोर्ट में जो तथा निकलकर बाहर आये जो अत्यन्त विषादपूर्ण थे। जो कि निम्नांकित है–

1. 5–12 वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ सबसे अधिक दुर्व्यवहार का खतरा होता है।
2. 18 वर्ष से कम उम्र की 150 करोड़ लड़कियों तथा 73 लाख लड़कों के साथ यौन हिंसा की गयी तथा उन्हें संभोग के लिए मजबूर किया गया।
3. 2002 में बच्चों की हत्या के 53000 मामलें रिपोर्ट किये गये।
4. 69 प्रतिशत बच्चों के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। जिनमें से 54.68 प्रतिशत लड़के थे।
5. 52.91 प्रतिशत लड़कों तथा 74.09 प्रतिशत लड़कियों के साथ उनके परिवार में दुर्व्यवहार किये गये।
6. दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों में 88.6 प्रतिशत के साथ उनके माता–पिता द्वारा ही दुर्व्यवहार किये गये।

7. हर तीन में से 2 बच्चों को स्कूल में शारीरिक दण्ड का सामना करना पड़ा।
8. बालश्रम के सम्बन्ध में 50.2 प्रतिशत बच्चे सप्ताह के सातों दिन काम करते है। जिनमें से 84 प्रतिशत लड़के चाय के स्टॉल या ढावों में करते है तथा 81. 16 प्रतिशत लड़कियॉ घरेलू कार्य करती है।
9. सड़क तथा स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों में 65.99 प्रतिशत लड़कों तथा 67.92 प्रतिशत लड़कियों का उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही दुरूपयोग किया जाता है।
10. 83 प्रतिशत बच्चों का उनके माता–पिता द्वारा भावात्मक शोषण किया गया।
11. 70.57 प्रतिशत लड़कियों की उपेक्षा इसलिए की गयी क्योंकि वे लड़कियॉ थी।
12. 48.4 प्रतिशत लड़कियों ने कामना की "काश वे लड़का होती।"
13. 27.33 प्रतिशत लड़कियों को भाइयों की तुलना में कम भोजन दिया गया।
14. साक्षात्कार में (18–24) आयु वर्ग के वयस्कों में लगभाग आधे लोगों ने शारीरिक तथा यौन दुर्व्यवहार की बात स्वीकार की।
15. 53.22 प्रतिशत बच्चों ने यौन दुर्व्यवहार का सामना किया।
16. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, असम बच्चों से दुर्व्यवहार के मामलों में लगातार दूसरे वर्ष सबसे ऊपर है।

हॉपर जिम (1987)[12] "बाल उत्पीडन की रोकथाम और उत्पीडन अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि – 'बाल दुर्व्यवहार बच्चे की 18 साल से पहले होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है। बाल दुर्व्यवहार वह है जब वयस्क बच्चे पर क्रूरता तथा हिंसा करते है। दुर्व्यवहार बच्चे पर जानबूझ कर किया गया वह कार्य है जो बच्चे की शारीरिक मानसिक तथा यौन चोट का कारण बनता है। जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की शारीरिक मानसिक तथा भावात्मक स्थित बिगड जाती है। दुर्व्यवहार किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। प्रति 10,000 बच्चों में 5.5 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन यौन दुर्व्यवहार के शिकार बनते है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,25,000 से अधिक बच्चे अपने केयर टेकर द्वारा प्रदत्त चोटों से पीड़ित है तथा इनमें से 2000–5000 बच्चे अपनी चोटों के कारण मृत होते है।"

Jayne Mooney (2000)[4] "सत्तर के दशक में घरेलू हिंसा सामने आयी, जिसमें बच्चों तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आंकडा सर्वाधिक था।"

Kee Thomson (2005)[8] "60 के दशक के बाद से बच्चों का दुरूपयोग एक सामाजिक चिन्ता का विषय बन गया है। जागरूकता वृद्धि के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों ने बच्चों के दुरूपयोग की संदिग्ध घटनाओं की शिकायत करना प्रारम्भ कर दिया। कानून में भी बच्चे से दुर्व्यवहार की सजा अत्यन्त कठोर है। बच्चे का दुरूपयोग उसके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक शोषण के साथ–साथ उसकी उपेक्षा करना भी है।"

बच्चों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

शारीरिक श्रेणी

मारना,पीटना, जलाना, काटना, बच्चे को गिराना आदि।

भावात्मक श्रेणी

बच्चे को दोष देना, चिल्लाना, उस पर शक करना, उसे शर्मिन्दा करना, बच्चे की विफलता के लिए उसे दोष देना।

यौन श्रेणी

बच्चे के साथ जबरदस्ती आलिंगन करना, उसके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना या बनाने का प्रयास करना।

अमर उजाला (दैनिक समाचारपत्र 16 जनवरी 2014)[1] "ब्रिट्रेन नागरिक ने पैसा देकर फिलीपींस के एक परिवार के पाँच बच्चों का वेबकैम के जरिये यौन शोषण होते हुए देखा। एजेन्सी के अनुसार ब्रितानी अमेरिकी तथा आस्ट्रेलियाई पुलिस ने मिलकर 14 देशों में चले ऑपरेशन 'एंडीवियर' में 17 ब्रितानी नागरिकों को गिरफ्तार किया।"

दैनिक जागकरण (दैनिक समाचार पत्र, 22 जनवरी 2014)"अर्न्तराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था 'ह्यूमन राइट्स वाच' ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कानून तो बहुत है परन्तु भ्रष्टाचार के कारण ऐसा नहीं हो पाता। वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 के अनुसार बच्चों तथा महिलाओं पर यौन हिंसा के मामले बढ़ गये है।"

Times of India (14 Nov, 2013)[9] "नई दिल्ली के स्कूल में कक्षा 5 के 20 बच्चों के साथ 6 महीने से यौन दुर्व्यवहार कर रहे एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया।"

Times of India (25 Oct, 2013)[9] "उत्तरी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में वहाँ की प्रिंसिपल के पति के द्वारा कक्षा 5 की 10 वर्षीय छात्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना सामने आयी।"

हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार पत्र 3 फरवरी 2014)[11] "देर शाम शौच के लिए बाहर गयी 5 वर्षीय बच्ची के साथ किशोर ने दुराचार किया।"

हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार पत्र 28 जनवरी 2014)[11] "सीतापुर में सात साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसी हत्या कर दी गयी।"

"गोंडा में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या की गयी। उसका शव खेत में पाया गया। दुराचार की आंशका व्यक्त की गयी है।"

Child abuse statistics[2]"बाल दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा के शिकार बच्चे वयस्क होकर हिंसक अपराधों में लिप्त हो जाते है। 59 प्रतिशत बच्चे किशोर रूप में, 28 प्रतिशत वयस्क रूप में हिसंक अपराधों में लिप्त होने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाते है।"

बाल दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे अलगाव, चिन्ता तथा अवसाद से ग्रस्त हो जाते है। (Lyons_Ruth 1996)[5] वे सिर,पेट, योनि तथा माँसपेशियों के दर्द से पीड़ित हो जाते है। (Takele Hamanasu)[7]

कनाडा के एक अस्पताल में किये गये अध्ययन में पाया गया कि पागलपन की शिकार 76 प्रतिशत

महिलाओं तथा 58 प्रतिशत पुरूष बाल दुर्व्यवहार के शिकार थे।[3]

Mannatt Manjeet singh, Shradha, S.Parker and Sree Kumaran, N. nair

(20 oct 2014) के अनुसार "समपूर्ण विश्व में 7.9% लड़कों तथा 19.7% लड़कियों का 18 साल के पहले यौन शोषण किया गया। एशिया में यह प्रतिषत 23.9% है। भारत में 2011 में 33098 बाल यौनदुर्व्यवहार के केस रिर्पोट किये गये । 2005 से 2013 के मध्य 42% बाल यौन दुर्व्यवहार के केस रिर्पोट किये गये।

Social welfear womean and child development (8 फरवरी 2018) के अनुसार "हर 155 मिनटमें एक 16 सालसे कम बच्चे का यौन चोड्डण होता है। तथा 90 बच्चों का शोषण उनके परिचितों द्वारा होता है।"

Shailaja Daral, Anita Khokhar, Shishir Pradhan (जून 2016) के अनुसार " उनके द्वारा चुने हुए 282 विषयो में से 93.3% ने परिस्थिति गत्य यौन शोषण झेला, 35.8% ने कई बार तथा विभिन्न प्रकार से यौन शोषण को सहायता तथा इनमें से 2.5% नें अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों तथा दोस्तो द्वारा ही यह दुर्व्यवहार सहा। "

नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो (8 सितम्बर 2016) के अनुसार 2015 में 8800 बाल यौन शोषण के केस पंजीकृत किये गये। जिनमें यू.पी. में 3078 एम.पी. में 1687, तमिलनाडु मे 1544, कर्नाटक में 1480,तथागुजरात में 1411 केस पंजीकृत किये गये।

Shirin Shabana Khan, Ashish Singh (11 फरवरी 2018 के अनुसार "भारत के 26 राज्यों में हुए एक सर्वे में पाया गया कि 45844 विषयी में से 45000 बच्चें 12 से 18 वर्षं की आयु में यौन शोषण का शिकार हुए। रिपोर्टे के अनुसार 2016 मेंबच्चों के विरूद्ध र्दुव्यवहार के 106958 के पंजीकृत हुए जिनमेंसे 36022 वयस्को कें अर्न्तगत दर्ज किए गए। 2015 में 14913 केस वयस्को के अर्न्तगत दर्ज हुए। भारत में यह स्थिति विषम है।"

Murli Krishnan (8 अगस्त 2018) के अनुसार रिर्पोट ये बताती है कि सरकारें बच्चों कों सुरक्षित करनें में असफल हैं । B.B.C .

(1 दिसंम्बर 2017) के अनुसार "हर 15 मिनट में एक बच्चेंका यौन शोषण होता है । 2014 में 89432, 2015, 94172 तथा 2016 में 106958 के बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार के केस पंजीकृत किए गए।

Sudipta Das (30 अगस्त 2018) के अनुसार यह केवल एक मिथ है कि बच्चों का यौन शोषण अजनबी करते है। यह आदमी और औरत दोनों करते हैं। केवल बालिका ही नहीं बल्कि बालकों का भी यौन शोषण होता है।"

Kushi Kushal app (5 मार्च 2018) के अनुसार कोई दिन या हफ्ता नही गुजरता जब केस पंजीकृत नही होते। भारतीय समाज यौन शोषण के शिकार बच्चों तथा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता।

अध्ययन के उद्देश्य

1. माता–पिता, संरक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा बच्चों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार का अध्ययन करना।
2. बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की विशेषताओं की पहचान करना।
3. दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप बच्चों के मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करना।
4. बाल दुर्व्यवहार का समाज पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
5. बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के परिणामों की पहचान एवं अध्ययन।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन हेतु लखनऊ में अर्जुनगंज क्षेत्र के "अर्जुनगंज विद्या मन्दिर इण्टर कालेज" तथा "अर्जुनगंज विद्या मन्दिर डिग्री कॉलेज" में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं की समस्त संख्या में से 100 छात्र–छात्राओं का चयन रैण्डमली (यादृच्छीकृत) रूप से किया गया है। इन समस्त छात्र–छात्राओं का आयु वर्ग 14–19 वर्ष है।

प्रतिदर्श

छात्रों की कुल संख्या	छात्र	छात्रायें
100	40	60

अध्ययन प्रविधि– आंकडों के संग्रहण हेतु शोध साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्नावली शोधकर्ती द्वारा स्वयं निर्मित की गयी है।

परिणाम –1

46 प्रतिशत छात्र/छात्राओं से अधिक घरेलू कार्य करवाया जाता है, तथा 17 प्रतिशत से कम घरेलू कार्य करवाया जाता है। जिसमें 20.80 प्रतिशत से शारीरिक हिंसा के द्वारा तथा 79.20 प्रतिशत से मानसिक उत्पीडन के द्वारा कार्य करवाया जाता है।

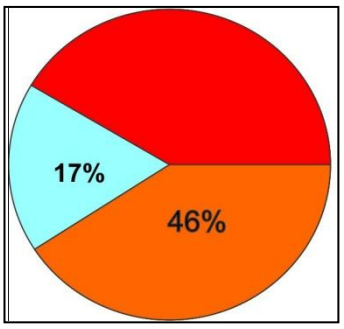

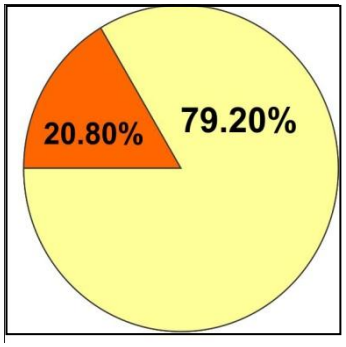

2 31.66 प्रतिशत लडकियों को कम भोजन दिया जाता है।
60 प्रतिशत लड़कियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योकि वे लड़की है।

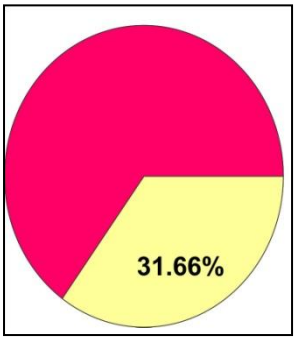

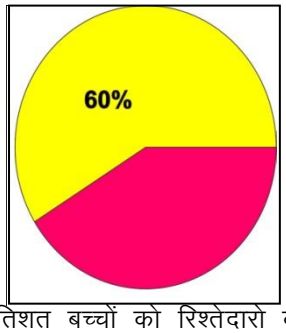

3 68 प्रतिशत बच्चों को रिश्तेदारो के सामने शर्मिन्दा किया जाता है।
52 प्रतिशत बच्चे माता–पिता के मध्य होने वाले झगड़ो का शिकार होते है।

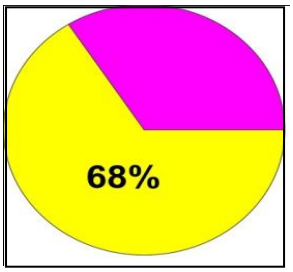

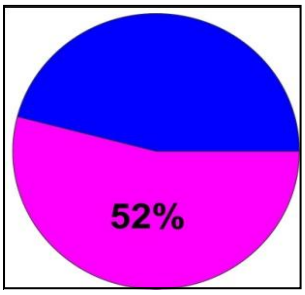

4 51 प्रतिशत बच्चे स्कूल में बिना वजह मानसिक हिंसा के शिकार होत है।
39 प्रतिशत छात्र/छात्राएँ अध्यापकों द्वारा शारीरिक हिंसा के शिकार हुए है, जिनमें से 7.69 प्रतिशत बच्चों को डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता पड़ी।

11 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को माता–पिता की पिटाई के पश्चात् डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता पड़ी।

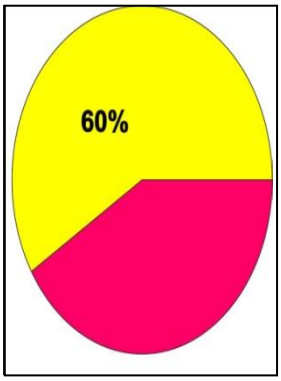

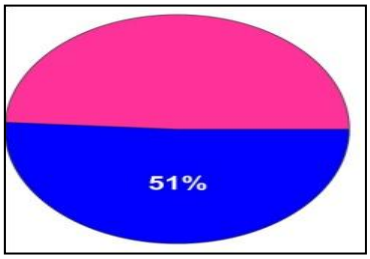

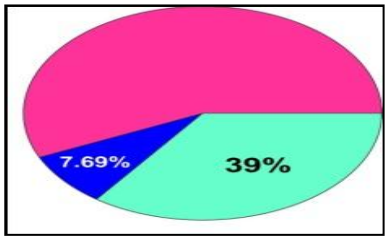

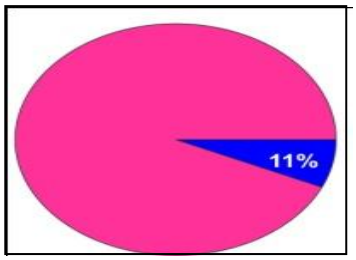

5 45 प्रतिशत छात्र/छात्राओं के साथ यौन हिंसा के प्रयास किये गये, जिनमें से 42.22 प्रतिशत के साथ यौन शोषण किया गया ।

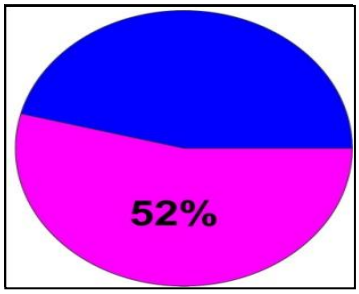

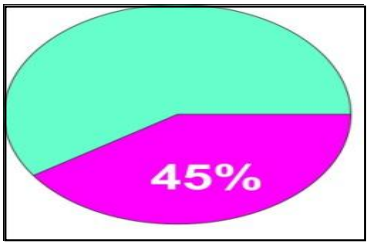

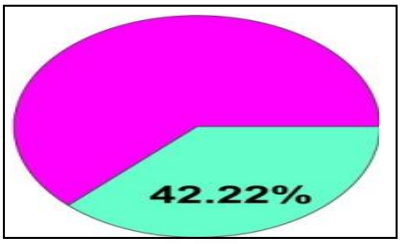

6 620.64 छात्र/छात्राओं के माता–पिता निम्न शिक्षित तथा 79.36 प्रतिशत छात्र/छात्राओं के माता–पिता उच्च शिक्षित थे।

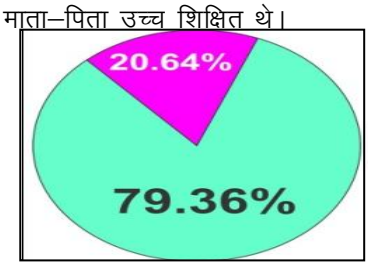

आँकड़ों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राप्त तथ्य निम्न हैं–

1. 46 प्रतिशत छात्र–छात्रायें ऐसे है जिनसे अत्यधिक कार्य करवाया जाता है। 17 प्रतिशत छात्र–छात्राओं बहुत कम घरेलू कार्य करवाया जाता है। सभी छात्र–छात्राओं से घरेलू कार्य करवाने हेतु उन पर दबाव बनाया जाता है। 48 छात्र–छात्राओं (76.20 प्रतिशत) को डांट कर तथा 15 छात्र–छात्राओं (23. 80प्रतिशत) को मारकर दबाव बनाया जाता है।
2. 31.66 प्रतिशत लड़कियों को कम भोजन दिया जाता है तथा अन्य को सामान्य भोजन दिया जाता है।
3. 60 प्रतिशत लड़कियों ने यह स्वीकार किया कि उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे लड़की है।
4. 68 प्रतिशत छात्र–छात्राओं से बताया कि उनकी किसी गलती को बार–बार उनके रिश्तेदारों को बताया जाता है जिससे वे बहुत शर्मिन्दा होते है।
5. 52 प्रतिशत छात्र–छात्राओं ने स्वीकार किया कि जब उनके माता–पिता आपस में झगड़ा करते है तो भी उन्हें डांट अथवा मार पड़ती है जिससे वे बहुत डर जाते है।
6. 51 प्रतिशत छात्र–छात्राओं को स्कूल में बेवजह डांटा जाता है। 39 प्रतिशत डिग्री सेक्शन के छात्र–छात्राओं ने बताया कि जब वे स्कूल में थे तो उन्हें मारा भी जाता था। जिसमें से 7.69 प्रतिशत छात्र–छात्राओं को अध्यापक की पिटाई के पश्चात् डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता भी पड़ीं
7. 11 प्रतिशत छात्र–छात्रायें माता–पिता द्वारा शारीरिक हिंसा के शिकार बने तथा उन्हें डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता भी पड़ी।
8. साक्षात्कार के दौरान 45 प्रतिशत छात्र–छात्राओं ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ यौन हिंसा के प्रयास किये गये जिसमें से 19 छात्र–छात्राओं (42.22 प्रतिशत) के साथ यौन शोषण किया गया जिसमें 63.16 प्रतिशत लड़कियां तथा 36.84 प्रतिशत लड़के है।
9. 15 छात्र–छात्राओ (78.94 प्रतिशत) को यौन शोषण की बात माता पिता को बताने पर डांट पड़ी तथा उन्हें इसके लिए दोष भी दिया गया।
10. 79.36 प्रतिशत छात्र–छात्राओं की माता–पिता कम शिक्षित थे तथा 20.36 प्रतिशत छात्र–छात्राओं के माता–पिता उच्च शिक्षित थे।

निष्कर्ष

किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का तथा उपेक्षा का बालमन पर बहुत दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन से जो तथ्य सामने आये है। उनसे निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त होते है–

1. अध्ययन से यह पता चलता है कि उच्च शिक्षित लोग भी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते है।
2. अधिकतर छात्र–छात्राओं पर घरेलू कार्य करने के लिए दबाव डाला जाता है। जिसमें कुछ बच्चों को शारीरिक दण्ड तथा कुछ को मानसिक उत्पीड़न (डांट) का शिकार होना पड़ता है।
3. लड़कियों के उनके घर में उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे लड़कियां है। वे लैगिंक विषमता की शिकार है।
4. साक्षात्कार के दौरान छात्र–छात्राओं ने स्वीकार किया की अब उन्हें अपने घरवालों पर विश्वास नहीं होता तथा अपने माता–पिता से डर लगता है।
5. जिन छात्र–छात्राओं से अधिक घरेलू कार्य करवाया जाता है उन्होंने बताया कि न तो उन्हें पढ़ाई का समय मिलता है और न खेलने का समय मिलता है। जिसके कारण उनके शैक्षिक क्रिया–कलाप प्रभावित होते है।
6. माता–पिता के मध्य झगड़ा होने के परिणाम स्वरूप बच्चे उनके दुर्व्यवहार का शिकार होते है। जिसका उनके विकास पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
7. स्कूल में शारीरिक तथा मानसिक हिंसा के शिकार छात्र–छात्रायें अपने अध्यापक के साथ–साथ स्कूल जाने से आंतकित होते है।
8. जिन छात्र–छात्राओं को शारीरिक चोट के पश्चात् डॉक्टर के इलाज की आवश्यकता पड़ी उन्होंने साक्षात्कार में बताया कि उन्हें अब भी शारीरिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है।
9. यौन शोषण के शिकार छात्र–छात्राओं ने साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि यौन संबन्धों के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोषण तथा दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप इन बच्चों में अवसाद, तनाव,

चिन्ता, कम आत्मसम्मान, हीन भावना, अविश्वास, डर, घरवालों के प्रति उदासीन व्यवहार, शारीरिक पीड़ा आदि नकारात्मक भाव उत्पन्न होते है। यही नकारात्मक विचार उनका भावी जीवन विषादपूर्ण बना सकते है। इसके साथ ही एक खतरनाक तथ्य यह भी निकलकर बाहर आया है कि अधिकतर मामलों में दोषी बच्चों के माता–पिता या परिवार के लोग ही होते है। जिन पर बच्चें सबसे ज्यादा भरोसा करते है। जब ये भरोसा टूटता है तो बच्चों का आत्मविश्वास भी खण्डित होता है।

सुझाव

1. समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोग यह समझ सकें कि बच्चें का पालन–पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए तथा बच्चों के अधिकार कौन–कौन से है। स्वस्थ पालन–पोषण एवं शिक्षा बच्चों का अधिकार है।
2. समय–समय पर स्कूल तथा कॉलेजों में कैम्प लगाकर बच्चों को उनके अधिकारों तथा प्रदान कि जा रही सरकारी सुविधाओं के बारे में बताना चाहिए ताकि दुर्व्यवहार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हो सके।
3. स्कूलों तथा परिवार में एक ऐसा सहायक वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चें उस वातावरण में खुद को सहज महसूस कर सकें तथा अपनी समस्याओं को भाई–बहन, माता–पिता तथा अध्यापकों के साथ साझा कर सके।
4. बच्चों को सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनका पुर्नउत्पीड़न रोका जा सके।
5. परिवार, स्कूल, पुलिस, डॉक्टर, कोर्ट, सलाहकार तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के मध्य उचित समायोजन होना चाहिए ताकि समय आने पर वे मिलकर कार्य कर सके।
6. अन्त में सबसे आवश्यक है कि हमें बच्चें को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वह उसे भूलकर एक नया जीवन आरम्भ कर सकता है क्योंकि उसके हर कदम में हम उसके साथ है।

अन्त टिप्पणी

amarujala.com, 16 January 2014

Child abuse statistics (http://www.childhelp.org/pages/statistics)

Childhood Sexual abuse: A Mental healt Issue (http://www.heretohelp.bc.ca/publication/fact sheets/child-sexual-abuse) Here to help Retrieved December 24, 2012

Jayne Mooney (www.oppapers. Comresearchproposalon-chil=abuse) 2000.

Lyons Ruth K.,"Attachment relationships among children with aggressive behavior problems: The role of disorganized early attachment patterns. "Journal of consulting and clinical psychology 64 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8907085) Febuary 1996

Study on child abuse in India, Ministry of women and child development Government of India (http://wcd.nic.in/childabuse .pdf) 2007

Takele Hamnasu, MBA, Impact of childhood abuse on Adult Health Amberton University (www.en.wikipedia.org/wiki/child-abuse)

Thomson Kee, (www.oppapers.comresearchproposal-on-child-abuse) 2005

www.timesof india.indiatimes.com, Oct 25, 2013, Nov 14, 2013

दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 22 जनवरी 2014

हिन्दुस्तान (समाचार पत्र) 28 जनवरी 2014, 3 फरवरी 2014

हॉपर जिम, बाल दुर्व्यवहार–सांख्यिकी, अनुसंधान संसाधन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1987